न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 33 / 2017
प्रविष्टि दिनांक 23.03.2017

हंसराज पुत्र घीसा जाति माली निवासी लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 16.09.2015 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री अनीस जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री घसिडीया राम बैरवा, तहसीलदार, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

<u>निर्णय</u> दिनांक **21.12.2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 16.09.2015 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 555 / 1 मे से रकबा 0.06 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम लाम्बाहरिसिंह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है। पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर कोई जांच नही की है। अपीलांट के खिलाफ ऐसी कोई शहादत पत्रावली पर उपलब्ध नही है,जिससे अपीलांट को पूर्व मे सजा याप्त किया गया हो। अतः अपील [illegible] अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट को [illegible] हुई है। अतिक्रमी [illegible] न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय

ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 555/1 मे से रकबा 0.06 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण किया है।

अपीलांट के कब्जे बाबत तहसीलदार मालपुरा से जांच करवाने पर तहसीलदार मालपुरा ने उनके पत्र क्रमांक 2527 दिनांक 22.09.2021 से अवगत कराया है कि आरजी खसरा नम्बर 555/1 रकबा 06 बिस्वा वाके ग्राम लाम्बाहरिसिंह पर किसी प्रकार का कब्जा नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.09.2015 के जरिये की गई दोष सिद्वी एंव अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है,परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार मालपुरा यह सुनिश्चित करेगे कि अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नही हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एंव भविष्य मे पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नही करेगा। यदि अपीलांट उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। तहसीलदार मालपुरा हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध मे मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

21-12-2021

(मुरारी लाल शर्मा)
अति.जिला कलेक्टर, टोंक